न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
22/12/23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना मे अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 5.1.24 को पेश हो । (हस्ताक्षर)
5.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य से तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 11.1.24 को पेश हो (हस्ताक्षर)
11.1.24	पत्रावली पेश हुई/ वकील पक्षकारान उप० है। जवाब तहसीलदार नैनवां प्राप्त हो चुका है। बहस प्रा० पत्र सुनी गई पत्रावली बास्ते अवलोकनार्थ तहसीलदार रिपोर्ट एवं आदेश हेतु दिनांक 16.1.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
16.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है बहस प्रा० पत्र मे वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शुद्धिकरण किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के दिनांक 27.12.23 के अनुसार मृतक भारतभूषण मूल रूप से गन्[illegible] सोनीपत हरियाणा का निवासी होने से [illegible] भारतभूषण की वारिसान [illegible] .3.2023 तहसीलदार गन्[illegible] सोनीपत से प्राप्त हुई, जिसमें मृतक के वारिसान पत्नी रचना, रक्षित पुत्र व छवि उर्फ त्रिशला पुत्री भारतभूषण (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के नाम अंकन दर्ज था। जिसके आधार पर पटवारी हल्का मोडसा द्वारा नामा0 स0 395 दिनांक 15.6.2023 को दर्ज एवं दिनांक 27.6.2023 को स्वीकृत हुआ था। परन्तु संलग्न दस्तावेज मे सहवारिसान रक्षित पुत्र की जन्म दिनांक 04.03.2010 एवं सहवारिसान पुत्री का नाम तृषा अंकन दर्ज है एवं जन्म दिनांक 07.02.2015 है। अतः दस्तावेज के मुताबिक रक्षित एवं तृषा नाबालिग है। स्कूल मे अध्ययनरत रक्षित व पुत्री तृषा की अंकतालिका एवं जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के मुताबिक रक्षित पुत्र एवं छवि उर्फ त्रिशला के स्थान पर शुद्ध नाम छवि उर्फ तृषा एवं नाबालिग दर्ज किये जाने की अभिशंषा सहित तहसीलदार नैनवां ने रिपोर्ट में अंकन किया।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम हापोलाई पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां के खाता सं. 152 नया के खसरा 1491/647, खाता सं. 175 की खसरा संख्या 1522/648, 1581/646, 1583/646 तथा खाता [illegible] की खसरा सं. 646/1 मे दर्ज "रक्षित [illegible] भारतभूषण" एवं "छवि उर्फ [illegible] पुत्री भारतभूषण" के स्थान पर "रक्षित [illegible] भारतभूषण नाबालिग" तथा "छवि उर्फ तृषा पुत्री भारतभूषण नाबालिग" संशोधित किये जाने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा.)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:04 IST
Reason: SelfAttested